बिहार सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

पत्रांक –10 / पटना, दिनाक–02.01.2007

संचिका सं०–2 / उ.नि.(अधिसूचना)विविध–31 / 2006

प्रेषक,

एस0 विजयराधवन,
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार,पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना।
प्रबंध निदेशक,आधारभूत संरचना, विकास प्राधिकार, पटना।
महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र,।

विषयः– सूक्ष्म,लघु एंव मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन सम्बन्धी सामान्य अनुदेश। **(General instructions for implementation of MSMED Act, 2006)**

महाशय

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (The Micro, small and Medium Enterprises Development(MSMED) Act, 2006) दिनांक–2.10.2006 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो विनिर्माण कार्य करता हो या सेवा व्यवसाय कार्यकलाप करता हो, आता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित अनुदेश दिये जाते हैंः–

(1) लघु उद्योगों का निबंधन(SSI Registration) को परिवर्तित करते हुए अब इसे ज्ञापन (Filing of Memorandum) किया गया है। Memorandum का प्रपत्र इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

(2) महापबंधक जिला उद्योग केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या का0 अ01636(अ0) दिनांक 29.09.2006 द्वारा उस प्राधिकारी के रूप में विनिर्दष्ट किया गया है जिसके पास ऐसे मध्यम उद्यम की स्थापना करने का आशय रखते हैं या जिन्होंने पहले स्थापना कर ली है, ज्ञापन(Memorandum) फाईल करेगा।

(3) इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–4801 दिनांक–12.12.2006 द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006(2006 का 27) की धारा–8 की उप धारा–(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुंए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र; प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा लैंड बैंक योजना

के अन्तर्गत क्षेत्र के लिए प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना प्राधिकार को उस प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके पास ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उक्त अधिनियम की धारा–8 की उप धारा(1) के खंड ''क'' एवं ''ख'' मे विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या उत्पादन करने में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना करने का आशय रखता हो या जिन्होंने पहले ही स्थापना कर ली है, ज्ञापन(Memorandum) फाईल करेगा।

(4) <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम का वर्गीकरण</u>

अधिनियम के द्वारा उद्योग (Industries) के विचारधारा को परिवर्तित कर उद्यम (Enterprises) करते हुए इसे दो श्रेणियों में विभक्त किया गया हैः (1) उद्यम, जो किसी वस्तु का उत्पादन/निर्माण करता हो तथा (II) उद्यम, जो सेवा व्यवसाय करता हो, जिसका वर्गीकरण अधिनियम की धारा–7 के उपधारा(1) में किया गया है।

(1)उत्पादन/ निर्माण करने वाली उद्यम को पुनः मशीन एवं संयंत्र(plant & Machineries) (भूमि एवं भवन (Land and Building) को छोड़कर), में पूॅजी निवेश के आधार पर एवं सेवा उद्यम को संयत्र(Equipments) में पूॅजी निवेश के आधार पर पुनः तीन–तीन श्रेणियों में बॉटा गया है।

क्रम सं0	उत्पादन/निर्माण करने वाली उद्यम।	पूॅजी निवेश।
1	सूक्षम उद्यम (Micro Enterprises)	रू0 25.00 लाख तक पूॅजी निवेश।
2	लघु उद्यम(Small Enterprises)	रू0 25.00 लाख से उपर एंव 5.00 करोड़ तक
3	मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)	रू0 5.00 करोड़ से उपर एंव 10.00 करोड़ तक
	सेवा प्रदान करने वाली उद्यम	
1.	सूक्ष्म उद्यम(Micro Enterprises)	रू0 10.00 लाख तक
2.	लघु उद्यम(Small Enterprises)	रू0 10.00 लाख से उपर एंव 2.00 करोड़ तक
3	मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)	रू0 2.00 करोड़ सेउपर एंव 5.00 करोड़ तक

(5) <u>ज्ञापन भरने सम्बन्धी निदेश**(Procedure of Filing Enterpreneurs Memorandum)**</u>

(क) उद्यमी ज्ञापन प्रपत्र (Memorandum Format) उद्योग विभाग, बिहार पटना के वेब साईट (http:://industries.bih.nic.in) से डाउनलोड कर सकते है˙

यह प्रपत्र एस.आई.एस.आई.डी.ओ. के वेबसाईट (www.laghuudyog.com or www .smallindustryindia.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है˙

(ख) कोई भी उद्यमी जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम की स्थापना करने का आशय रखता है, वह ज्ञापन(Memorandum) जिला उद्योग केन्द्र या अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी के पास फाइल करेंगे।

(ग) जिला उद्योग केन्द्र/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/आधारभूत संरचना प्राधिकार ज्ञापन के विहित स्थानो पर सभी प्रकार के कोड भरेगें एंव ज्ञापन प्राप्ति के पॉच दिनों के अन्दर ई0एम0(E.M.) नम्बर निर्गत की तिथि, उद्यम की श्रेणी सहित प्राप्ति रसीद हाथो–हाथ देंगे या डाक द्वारा भेजेंगे।

(घ) जिला उद्योग केन्द्र/सम्बन्धित प्राधिकारी पावती रसीद देने के पूर्व सुनिश्चित हो लेंगे कि ज्ञापन सभी प्रकार से पूर्णरूपेण भरा हुआ है,विशेषकर ज्ञापन हस्ताक्षरित हो तथा इसके साथ एक अंडरटेकिंग संलग्न हो जो उद्यमी के ज्ञापन का एक भाग है।

(ड) जिला उद्योग केन्द्र/सम्बन्धित कार्यालय एक अभिलेख(record) संधारित करेंगे जो सूक्ष्म,लघु एंव मध्यम उद्यम के कार्य कलापो से संबंधित होगा। जिला उद्योग केन्द्र/ संबंधित कार्यालय उद्यमी द्वारा आवेदित ज्ञापन पर ई0एम0नम्बर आंवटित करते हुए इसकी एक प्रति लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना को भेजेंगें।

(च) महापबंधक,जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मध्यम उद्यम के लिए आवेदित ज्ञापन का अलग अभिलेख संधारित किया जाएगा एवं सभी औपचारिकताएँ पूरी कर इस की भी एक प्रति लघु उद्योग सेवा संस्थान/संयुक्त विकास आयुक्त (एम0एस0एम0ई0पौल)लघु उद्योग, विकास आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली को भेजेंगे।

(छ) ज्ञापन प्रपत्र के दो भाग होगें। कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने का आशय रखते हों या सेवा व्यवसाय का कार्य करना चाहते हों, वे ज्ञापन प्रपत्र के भाग को भर कर जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करेगें।

(ज) जब इकाई द्वारा उत्पादन कार्य या सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया जाय, तो उन्हें प्रपत्र–II भरकर जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित कार्यालय में जमा करेगें।

(झ) ज्ञापन प्रपत्र भाग–1 भरने के दो वर्षो बाद तक उद्यमी द्वारा यदि ज्ञापन प्रपत्र भाग–।। नहीं भरा जाता है, तो यह निरस्त हो जाएगा।

(ञ) उद्यमी द्वारा अपने उद्यम में मशीन प्लान्ट इक्वीपमेन्ट आदि के निवेश में परिवर्तन करने पर उन्हें जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित कार्यालय को, जहॉ पहले ज्ञाापन जमा किया गया है, को एक माह के अन्तर्गत लिखित सूचना देनी होगी कि उनके द्वारा निवेश में परिवर्तन किया गया है।

(ट) उत्पादित वस्तु एवं सेवा के परिवर्तन या अतिरिक्त वस्तुओं के उत्पादन मामले में भी उद्यमी को जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित कार्यालय को, जहाँ पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था, को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

(ठ) जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित कार्यालय उपरोक्त सभी सूचनाओं का अभिलेख लिखित में रखने के अतिरिक्त इसे कम्प्यूटर में डालकर रखेंगे।

(6) अधिनियम की धारा–3 के अनुसार ज्ञापन(Memorandum) प्राप्त करने वाले प्राधिकारी उसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को उपलब्ध करा देंगे एवं ज्ञापन पर जाँच प्रपत्र(Check slip) लगाकर जाँच कर लेंगे कि प्रस्तावित उद्यम प्रतिबंधित सूची में तो नहीं है। इसके पश्चात अधिकतम 15 दिनों के अन्दर ज्ञापन का निस्तार(Disposal) करेंगे।

(7) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक,बिहार ,पटना होंगे।

विश्वासभाजन

ह०/- 29/12

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 10 /पटना,, दिनांक– 2/1/2007

प्रतिलिपितः–सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 29/12

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार , पटना।